

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 4924 /सेक-2-पांच-16-1(8)/2013टी0सी0-1

लखनऊ :: दिनांक : 31 दिसम्बर, 2016

**कार्यालय ज्ञाप**

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड पे रू0 10,000) की निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित चिकित्साधिकारी, जो स्तम्भ-3 में अंकित पद एवं स्थान पर तैनात हैं, को महानिदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 67,000-79,000 तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) के पद पर प्रोन्नत करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर एतद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	डा० पद्माकर सिंह/ 4858	निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।

2- डा० पद्माकर सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

अरुण कुमार सिन्हा


अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 4924 (1)/सेक-2-पांच-16, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 8- वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 10- समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 11- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।

- 12- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 13- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 14- प्रभारी, कम्प्यूट सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 15- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 16- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(सूर्य प्रकाश सिंह संगर)  
उप सचिव।  
५